

मध्यप्रदेश विधान सभा

मध्यप्रदेश विधान सभा का 100वाँ बैठक का कार्यक्रम, 10 मार्च, 1994

फरवरी-अप्रैल, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 1994 (फाल्गुन 10, 1915)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, राज्यमंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिये पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बी. आर. यादव, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1985-86 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बुद्धसेन पटेल, बाबूलाल गौर, चन्द्रप्रकाश बाजपेई, सदस्य, बिलासपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय में दुष्कृत्य के दौरान एक महिला की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, मन्दासौर के स्लेट पेंसिल उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की हो रही असमय मृत्यु की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. लोक लेखा समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये लोक लेखा समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

5. प्राक्कलन समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223 के उपनियम (2) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 223-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण

7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये बीस सदस्यों का निर्वाचन

श्री कांतिलाल भूरिया, आदिम जाति, अनुसूचित जाति मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा नियमावली के नियम 234-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 20 सदस्यों के निर्वाचन के लिये (जिसमें क्रमशः पांच-पांच सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अप्रसर हों."

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री जालमसिंह पटेल, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं"

श्रीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा
भोपाल :
दिनांक : 28 फरवरी, 1994

क-218 प्रा. वि. 8881, उक्त अधिनियम, वि. सं. 88, अंश 1 प्रा. वि. (5)
21 फरवरी 1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए (5) प्रा. वि. (5)
दिनांक 28-2-1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए (5) प्रा. वि. (5)

प्रस्ताविका प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5)
क-218 प्रा. वि. 8881, उक्त अधिनियम, वि. सं. 88, अंश 1 प्रा. वि. (5)
21 फरवरी 1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए (5) प्रा. वि. (5)
दिनांक 28-2-1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए (5) प्रा. वि. (5)

प्रस्ताविका प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5)
क-218 प्रा. वि. 8881, उक्त अधिनियम, वि. सं. 88, अंश 1 प्रा. वि. (5)
21 फरवरी 1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए (5) प्रा. वि. (5)
दिनांक 28-2-1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए (5) प्रा. वि. (5)

प्रस्ताविका प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5)
क-218 प्रा. वि. 8881, उक्त अधिनियम, वि. सं. 88, अंश 1 प्रा. वि. (5)
21 फरवरी 1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए (5) प्रा. वि. (5)
दिनांक 28-2-1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए (5) प्रा. वि. (5)

प्रस्ताविका प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5) प्रा. वि. (5)
क-218 प्रा. वि. 8881, उक्त अधिनियम, वि. सं. 88, अंश 1 प्रा. वि. (5)
21 फरवरी 1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए (5) प्रा. वि. (5)
दिनांक 28-2-1994 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए (5) प्रा. वि. (5)